


दिनांक	आज्ञा पत्र	
11.2.25	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित                      पीठासीन अधिकारी महोदय आज 4A99.1 रफि. 2<sup>क</sup> र/ड. को लि                      पेश करि पर लाती हो पत्रावली का पत्र तलबी दिनांक                      28/3/25 को पेश हो</p>	
28.3.25	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित                      पीठासीन अधिकारी महोदय आज <u>S. S. N. N.</u>                      पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक <u>6.5.25</u>                      को पेश हो</p>	
6/5/25	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपस्थित                      पीठासीन अधिकारी महोदय आज <u>6/5</u>                      पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक <u>10.1.25</u>                      को पेश हो</p>	
10.6.25	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को हिदायत दी जाती है                      कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के                      रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर                      आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज                      कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली                      रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक  <u>10.6.25</u> को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि                      स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाऊ है।</p>	
8/7/25	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलाट एवं अपीलाट स्वयं को                      बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल                      6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया                      उसके बावजूद अपीलाट एवं उनके अधिवक्ता                      अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलाट अदम हाजरी                      एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास                      सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर                      बाद तुरतीब तकमील दाखिल टफतर हो।</p>	

अनिल कुमार II RAS  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
 सीकर (कैम्प झुन्झुनू)